

क्रमांक प0 10(2) कृषि/गुप-2/75

जयपुर, दिनांक 15 JUL 2016

अधिसूचना

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (राजस्थान अधिनियम संख्या 38 सन् 1961) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विभाग की विज्ञप्ति संख्या प0 10(2) कृषि/गुप-2/75 दिनांक 23.04.1977 के क्रम में राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करने की घोषणा करती है, अर्थात:-

संशोधन

उक्त अनुसूची में क्रम संख्या 8 पर अंकित "मसाले" शीर्षक अन्तर्गत कृषि उपजों के साथ "कलौंजी" एवं क्रम संख्या 9 पर अंकित "वन उपज" शीर्षक अन्तर्गत कृषि उपजों के साथ "कैथूड़ी" को सम्मिलित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

६०

(रामावतार गुप्ता)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राज0 जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ मय सी.डी.।
- 2- विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री।
- 3- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि।
- 4- निदेशक, कृषि विपणन विभाग।
- 5- रक्षित पत्रावली।


उप शासन सचिव